

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5417
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

'अमृत' के अंतर्गत हासिल की गई जल एवं सीवेज उपचार क्षमता

5417. श्री विजय बघेल:

सुश्री बाँसुरी स्वराज़:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में, 'अमृत' के अंतर्गत हासिल की गयी जल एवं सीवेज उपचार क्षमता का राज्यवार व्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा 'अमृत 2.0' के अंतर्गत दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ में राज्यवार, विशेषकर जिलावार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और
- (ग) 'अमृत 2.0' के अंतर्गत अनुमोदित उक्त परियोजनाओं की परिचालन एवं रखरखाव लागत सहित कुल वित्तीय लागत का व्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था।

अमृत के अंतर्गत 4,734 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) क्षमता और 4,447 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) क्षमता सृजित की गई है, जिसमें से 317 एमएलडी डब्ल्यूटीपी क्षमता और 263.2 एमएलडी एसटीपी क्षमता छत्तीसगढ़

राज्य में सृजित की गई है। छत्तीसगढ़ सहित डब्ल्यूटीपी और एसटीपी क्षमता का राज्य-वार व्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ख) और (ग): अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अन्दर परियोजनाओं का चयन करने, प्राथमिकता देने, डिजाइन बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। अब तक अमृत 2.0 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1,89,087.31 करोड़ रु. (संचालन और रख-रखाव लागत सहित) की कुल 8,868 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार व्यौरा अनुलग्नक-॥ में दिया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 3,308.19 करोड़ रु. (संचालन और रख-रखाव लागत सहित) की 76 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से दुर्ग संसदीय क्षेत्र (बेमेतारा और दुर्ग जिले) में 641.58 करोड़ रु. की 09 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। छत्तीसगढ़ में अनुमोदित परियोजनाओं का जिला-वार व्यौरा अनुलग्नक-॥॥ में दिया गया है।

“अमृत के अंतर्गत प्राप्त जल और सीवरेज शोधन क्षमता” के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5417 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

अमृत के अंतर्गत जल शोधन संयंत्र क्षमता की राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकसित डब्ल्यूटीपी क्षमता (एमएलडी में)	विकास चरण में डब्ल्यूटीपी क्षमता (एमएलडी में)	कुल डब्ल्यूटीपी क्षमता (एमएलडी में)
1	आंध्र प्रदेश	272	47	319
2	अरुणाचल प्रदेश	9.5		9.5
3	असम		145.2	145.2
4	बिहार	34		34
5	चंडीगढ़	68		68
6	छत्तीसगढ़	317	35	352
7	दादरा और नगर हवेली	11		11
8	दिल्ली	3		3
9	गुजरात	955.85		955.85
10	हरियाणा	71	51.8	122.8
11	झारखण्ड	119		119
12	कर्नाटक	326.37		326.37
13	केरल	165	100	265
14	मध्य प्रदेश	334.5		334.5
15	महाराष्ट्र	445.7	238	683.7
16	मिजोरम	34.8		34.8
17	ओडिशा	86		86
18	पंजाब	113	405.89	518.89
19	राजस्थान		25.8	25.8
20	तमिलनाडु	729.4	125	854.4
21	त्रिपुरा	16.5		16.5
22	उत्तर प्रदेश	210	195	405
23	पश्चिम बंगाल	412.17	37.96	450.13
कुल		4733.79	1406.65	6140.44

अमृत के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकसित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)	विकास चरण में एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)	कुल एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
1	आंध्र प्रदेश	40	165	205
2	अरुणाचल प्रदेश		3	3
3	छत्तीसगढ़	263.2		263.2
4	दिल्ली		68	68
5	दमन और दीव	4.21		4.21
6	गुजरात	1582.4		1582.4
7	हरियाणा	231.86	44.37	276.23
8	हिमाचल प्रदेश	31.1		31.1
9	जम्मू और कश्मीर	8		8
10	झारखण्ड		36	36
11	कर्नाटक	132.55	78	210.55
12	केरल	11.6	16.2	27.8
13	मध्य प्रदेश	570.85	391.65	962.5
14	महाराष्ट्र	529.5	303.5	833
15	मेघालय	1.65		1.65
16	ओडिशा	0.12		0.12
17	पंजाब	131.25	380.5	511.75
18	राजस्थान	266.75	28	294.75
19	तमिलनाडु	289.97	210.03	500
20	तेलंगाना	18.25		18.25
21	उत्तर प्रदेश	280	128	408
22	उत्तराखण्ड	49.55		49.55
23	पश्चिम बंगाल	4.3		4.3
कुल		4447.11	1852.25	6299.36

“अमृत के अंतर्गत प्राप्त जल और सीवरेज शोधन क्षमता” के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5417 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-॥

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं	
		संख्या	कुल लागत (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	34.9
2	आंध्र प्रदेश	552	8,517.69
3	अरुणाचल प्रदेश	19	185.02
4	असम	60	961.98
5	बिहार	64	8,481.14
6	चंडीगढ़	6	175.94
7	छत्तीसगढ़	76	3,308.19
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1	63.47
9	दिल्ली	89	2,499.05
10	गोवा	24	173.42
11	गुजरात	922	17,717.74
12	हरियाणा	57	1,727.36
13	हिमाचल प्रदेश	49	321.66
14	जम्मू और कश्मीर	153	1,665.11
15	झारखण्ड	113	4,202.53
16	कर्नाटक	684	10,274.13
17	केरल	740	3,743.43
18	लद्दाख	3	195.05
19	लक्ष्मीप		
20	मध्य प्रदेश	1273	12,963.14
21	महाराष्ट्र	286	30,452.90
22	मणिपुर	32	155.73
23	मेघालय	1	121
24	मिजोरम	106	157.78
25	नागालैंड	64	218.9
26	ओडिशा	348	3,940.98
27	पुदुचेरी	19	189.68
28	पंजाब	195	3,659.47

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं	
		संख्या	कुल लागत (करोड में)
29	राजस्थान	321	10,823.72
30	सिक्किम	8	49.41
31	तमिलनाडु	1270	14,687.83
32	तेलंगाना	252	9,584.26
33	त्रिपुरा	18	191.53
34	उत्तर प्रदेश	655	26,758.53
35	उत्तराखण्ड	19	263.04
36	पश्चिम बंगाल	388	10,621.59
कुल		8868	1,89,087.31

“अमृत के अंतर्गत प्राप्त जल और सीवरेज शोधन क्षमता” के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5417 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III।

छत्तीसगढ़ में अमृत 2.0 के अंतर्गत जिला-वार अनुमोदित परियोजनाएं

क्र. सं.	ज़िले के नाम	अनुमोदित परियोजनाएं	
		संख्या	लागत (करोड़ में)
1	बालोद	3	93.65
2	बस्तर	3	88.81
3	बेमेतारा	1	3.10
4	बिलासपुर	10	293.27
5	धमतारी	3	113.73
6	दुर्ग	8	638.48
7	गरियाबंद	1	39.42
8	जांजगीर चम्पा	3	106.70
9	जशपुर नगर	5	112.51
10	कांकेर	4	86.94
11	कर्वार्धा	1	6.95
12	कोडागांव	1	111.01
13	कोरबा	2	145.25
14	कोरिया	4	271.92
15	महासमुंद	1	129.90
16	मुंगेली	5	219.04
17	रायगढ़	1	13.52
18	रायपुर	8	276.74
19	राजनंदगांव	5	195.40
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1	40.36
21	सरगुजा	3	146.28
22	सुकमा	1	83.96
23	सुरजपुर	2	91.24
	कुल	76	3308.19
